538

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./56002/2014 जयपुर, दिनांक : 12 JUN 2017

जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः— **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराए जाने बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कुछ जिलों द्वारा यह जानकारी चाही गयी है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों का नियोजन दूसरी ग्राम पंचायत में किया जा सकता है अथवा नही ?

इस संबन्ध में महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 18 एवं 20 में निम्नानुसार प्रावधान है :–

पैरा 18 – "जहॉ तक संभव हो, आवेदक को उस ग्राम से जहॉ वह आवेदन करते समय निवास करता है, 5 कि.मी. के व्यास के भीतर रोजगार प्रदान किया जायेगा।

पैरा 20 – "यदि रोजगार पैरा 18 में वर्णित प्रावधान से बाहर किया जाता है तो यह ब्लाक में ही प्रदान किया जाना चाहिये और श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में, मजदूरी दर के दस प्रतिशत का संदाय किया जाएगा।

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि संबन्धित ग्राम पंचायत में रोजगार उपलब्ध नही कराये जा सकने की स्थिति में संबन्धित पंचायत समिति की अन्य ग्राम पंचायत में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

संशोधित प्रति संलग्न करते हुए लेख है कि तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित करावे।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. परि.निदे.एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस/अतिरिक्त आयुक्त, प्रथम/वित्तीय सलाहकार/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता (ए), मुख्यालय।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
7. कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

539

कार्य का आबंटन :

14. ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक आवेदक को स्कीम के उपबंधों के अनुसार, आवेदन की प्राप्ति की पंद्रह दिनों के भीतर या उस तारीख से, जिससे वह अग्रिम आवेदन की दशा में कार्य चाहता है, इनमें से जो पश्चात्‌वर्ती हो, अकुशल शारीरिक कार्य प्रदान किया जाएगा ।
15. महिलाओं को इस तरह पूर्विकता दी जाएगी कि कम से कम एक-तिहाई फायदा प्राप्त करने वालों में ऐसी महिलाएं होंगी, जो रजिस्ट्रीकृत हैं और कार्य के लिए जिन्होंने अनुरोध किया है । एकल महिला और निःशक्त व्यक्ति की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।
16. ऐसे आवेदक, जिन्हें कार्य दिया जाता है, कार्य कार्ड में दिए गए उनके पते पर उनको पत्र भेजकार और जिला, मध्यवर्ती या ग्रामस्तर पर पंचायतों में सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित कर इस प्रकार लिखित रूप में सूचित किया जाएगा ।
17. उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें कार्य दिया जाता है, ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जिन्हें कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे, प्रदर्शित की जाएगी और सूची राज्य सरकार या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।
18. जहां तक संभव हो, आवेदक को उस ग्राम से जहां वह आवेदन करते समय निवास करता है, पांच किलोमीटर के व्यास के भीतर रोजगार प्रदान किया जाएगा ।
19. स्कीम के अधीन को नया कार्य आरंभ किया जा सकता है, यदि कम से कम दस श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध हो जाते है ।
20. यदि रोजगार पैरा 8 में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यास के बाहर प्रदान किया जाता है तो यह ब्लॉक के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए और श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापनखर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में, मजदूरी दर के दस प्रतिशत का संदाय किया जाएगा ।
21. रोजगार की अवधि कम से कम निरंतर चौदह दिन के लिए होगी एक सप्ताह में छह दिन से अनधिक के साथ ।

कार्यस्थल प्रबंधन :-

22. कार्यस्थल पर कार्य में पारदर्शिता के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित किए जाएंगे :-
    (i) परियोजना प्रारंभ के समय बैठक होगी जिसमें कार्य के विभिन्न उपबंधों को कर्मकारों को बताया जाएगा ;
    (ii) कार्यस्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मंजूर कार्य आदेश की एक प्रति उपलब्ध होगी ;
    (iii) सार्वजनिक निरीक्षण के लिए प्रत्येक कार्य के माप का अभिलेख और कर्मकारों का ब्यौरा उपलब्ध होगा ;
    (iv) प्रत्येक कार्यस्थल पर एक नागरिक सूचना पटल लगाया जाएगा और उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा ;
    (v) केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार, स्थापित की गई सतर्कता और मानीटरी समिति सभी कार्यों और उस पर उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच कर सके केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूपविधान में और कार्य रजिस्टर में इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट अभिलिखित की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार और सामाजिक संपरीक्षा के दौरान ग्रामसभा को प्रस्तुत की जाएगी ।
23. कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बालकों तथा विश्राम की अवधि के लिए शेड, लघु क्षति में आपात उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक सहायता पेटी तथा किए जा रहे कार्य से संबद्ध अन्य स्वास्थ्य परिसंकट के लिए सुविधाएं कार्यस्थल पर प्रदान की जाएगी ।
24. यदि किसी कार्यस्थल पर पांच साल की आयु से कम आयु के बालकों की संख्या पांच या अधिक है तो ऐसी एक महिला कर्मकार को ऐसे बालकों की देखरेख करने के लिए नियुक्ति करने का उपबंध किया जाएगा । प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति को मजदूरी दर संदत्त होगी । परिक्षेत्र में अति अधिकारहीन महिला, शोषित दशा में महिला या बंधुआ मजदूर या वे जो सहजबेद होने से दुर्व्यापार का शिकार हो रही है या जो मैला उठाने के कार्य से छोडी गई है, को बालकों की देखरेख प्रदान करने के लिए नियोजित किया जाएगा ।

कल्याण :-

25. यदि स्कीम के अधीन किसी नियोजित व्यक्ति को नियोजन से उद्‌भूत दुर्घटना या उसके क्रम में कोई शारीरिक क्षति होती है, वह यथाअपेक्षित ऐसी निःशुल्क चिकित्सीय उपचार का हकदार होगा ।

26. जिला प्रोग्राम समन्वयक, प्रोग्राम अधिकारी और ग्राम पंचायत अपने कार्यक्षेत्र के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट बनाएंगे, जिसमें तथ्य और आंकड़े और स्कीम के क्रियान्वयन से संबंधित उपलब्धियों को रखा जाएगा और उसकी एक प्रति, जनता की मांग पर और ऐसी फीस के संदाय पर जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, उपलब्ध कराई जाएगी ।
27. स्कीम से संबंधित सभी खातों और अभिलेखों व मस्टर रोल को सार्वजनिक संवीक्षा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा । यदि को व्यक्ति इसकी प्रति या इससे संबद्ध सार प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मांग किए जाने पर आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर ऐसी प्रतियां या सार उपलब्ध कराए जा सकते हैं ।

उ० श्री/14-3